न्यायालयः श्री मनीष कुमार पाण्डेय
अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी
अरेराज, पूर्वी चम्पारण।

जीआर स0ं -2530c/17
सीआईएस संख्या -2530/17
दिनांक 23.12.2023

आदेश

दिनांक 23.12.2023 वाद पुकारा गया। मामले में वादी की तरफ से 17.10.2023 को प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत धारा 311 द0प्र0सं0 पर आदेश हेतु निर्धारित है ।

मामले में वादी का कहना है कि परिवादी का साक्ष्य दिनांक 23.1.2023 को हुआ था लेकिन लिपकीय भूल के कारण परिवादी के अभिरक्षा में रखा हुआ मूल कागजात दाखिल नहीं हो सका और प्रदर्श अंकित नहीं हो सका यह कि इसका साक्ष्य के रूप में प्रदर्श होना आवश्यक है अतः 22.02.2023 को प्रस्तुत कागजात जिन्हें प्रदर्श अंकित करने की कृपा करें।

विपक्षी की तरफ से अपने प्रतिउत्तर कहा गया कि प्रस्तुत आवेदन धारा 311 के अंतर्गत पोषणीय नहीं है और मामले में दिनांक 29.11.2018 को सारांश सुनाया गया था और 18.10. 2022 को साक्ष्य बंद कर दिया गया पुनः दिनांक 23.01.2023 को वादी द्वारा धारा 311 द0प्र0सं0 के अंतर्गत आवेदन दिया गया जो 500रु खर्चे के साथ स्वीकृत किया गया और परिवादी का साक्ष्य लिया गया यह कि परिवादी बार बार इस तरह का आवेदन देकर मामले में लंबित रखना चाहता है अतः आवेदन को अस्वीकृत करने की कृपा की जाए।

उभय पक्षों को सुना, पत्रावली तथा दस्तावेजों का अवलोकन किया । अवलोकन के पश्चात न्यायालय यह पाती है कि मामले में परिवादी को दिनांक 18.10.2022 को साक्ष्य से वंचित किया गया और उनके अधिवक्ता को भी अभिलेख दृश्य कराया गया । आदेश फलक से स्पष्ट है कि परिवादी को पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था परंतु परिवादी ने साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया था। यह कि दिनांक 14.11. 2022 को वादी ने उस आदेश को वापस लेने की मांग की थी जिसके आलोक में न्यायालय ने दिनांक 23.01. 23 को वादी का आवेदन 500रु खर्चे पर स्वीकृत कर लिया था। परंतु वादी द्वारा उस समय दस्तावेज के संबंध में कोई आवेदन नहीं दिया था दूसरी बात यह कि मामले में धारा 311 द0प्र0सं0 प्रदर्श अंकित करने हेतु दस्तावेज के संबंध में नहीं है अतः परिवादी का आवेदन **अस्वीकृत किया जाता है।** वाद दिनांक ..... अग्रिम कार्रवाई।

लेखापित तथा संशोधित

अवर न्यायाधीश तृतीय
अरेराज (पूर्वी चम्पारण)